



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

REGIONAL OFFICE U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर-10, योजना संख्या-3, झुंसी, प्रयागराज - 221506

Avas Vikas Parishad Colony, Sector-10, Scheme No. 3, Jhunsi, Prayagraj

ई-मेल: roallahabad@uppcb.com

संदर्भ सं० 601023 / M-115 / 2019

दिनांक 17/7/2019

सेवा में,

ई-मेल

आवश्यक / महत्वपूर्ण

मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-2,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ०ए० 455/2019 (गया प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य) में दिनांक 23.05.19 के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं० एच 38930/एनजीटी सेल-07/2019 दिनांक 17.07.19 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि पूर्व में इस कार्यालय के पत्र सं० जी००६३७/एम-११५/२०१९ दिनांक ०४.०६.१९ द्वारा मेसर्स मॉ शारदा ब्रिक फील्ड, हरदो, खागा, फतेहपुर को मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक २३.०५.१९ के अनुपालन में दिनांक ०३.०६.१९ को उपजिलाधिकारी, खागा, फतेहपुर, द्वारा गठित समिति के सदस्यों के साथ, उद्योग प्रतिनिधि श्री मनोज कुमार (मुंशी) की उपस्थिति में ईट भट्ठा को फायर टैंकर के माध्यम से पानी डलवाकर बंद कराया गया। बंदी की अनुपालन आख्या एवं फोटोग्राफ की छायाप्रति पुनः संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,

(जगत बहादुर सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, फतेहपुर।
2. मुख्य विधि अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि ओ०ए० 455/2019 (गया प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य) में दिनांक 23.05.19 के अनुक्रम में एन०जी०टी० के मेल पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।
3. श्री प्रदीप मिश्रा, स्थायी अधिवक्ता, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि ओ०ए० 455/2019 (गया प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य) में दिनांक 23.05.19 के अनुक्रम में अनुपालन आख्या मा० न्यायलय में प्रस्तुत करें।

क्षेत्रीय अधिकारी

07/7

ASO



क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

REGIONAL OFFICE U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर-10, योजना संख्या-3, झूंसी, प्रयागराज - 221506

Avas Vikas Parishad Colony, Sector-10, Scheme No. 3, Jhunsi, Prayagraj

ई-मेल: roallahabad@uppcb.com

संदर्भ सं० 6700632/17-115/2019

दिनांक 04/06/2019

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-2,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय: मेसर्स मॉ शारदा ब्रिक फील्ड, हरदो, खागा, फतेहपुर के विरुद्ध मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० 455/2019 (गया प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य) में दिनांक 23.05.19 को पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि इस कार्यालय द्वारा मेसर्स मॉ शारदा ब्रिक फील्ड, हरदो, खागा, फतेहपुर को मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.05.19 के अनुपालन में दिनांक 03.06.19 को उपजिलाधिकारी, खागा, फतेहपुर, द्वारा गठित समिति के सदस्यों के साथ, उद्योग प्रतिनिधि श्री मनोज कुमार (मुंशी) की उपस्थिति में ईट भट्टा को फायर टैंकर के माध्यम से पानी डलवाकर बंद कराया गया। बंदी की अनुपालन आख्या एवं फोटोग्राफ की छायाप्रति संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।


संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,


(एस०के० मिश्रा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सदस्य सचिव महोदय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, फतेहपुर।
3. उपजिलाधिकारी, खागा, फतेहपुर।
4. मुख्य विधि अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि ओ०ए० 455/2019 (गया प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य) में दिनांक 23.05.19 के अनुक्रम में एन०जी०टी० के मेल पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।
5. श्री प्रदीप मिश्रा, स्थायी अधिवक्ता, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि ओ०ए० 455/2019 (गया प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य) में दिनांक 23.05.19 के अनुक्रम में अनुपालन आख्या मा० न्यायलय में प्रस्तुत करें।


क्षेत्रीय अधिकारी

04/06/19

ASO

भा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित O.A संख्या 455/

2019 गया प्रसाद बनाम युनियन ऑफ इण्डिया व अन्य से

पारित आदेश दिनांक 23.05.2019 के अनुपालन में आज दिनांक 03.06.2019 को मेसर्स श्री शारदा क्रिड फिल्ड को हरदो खगगा, धरदपुर को उपजिलाधिकारी भदोदय द्वारा गठित समिती द्वारा उद्योग प्रतिनिधी श्री मनोज कुमार (भुशी) पुत्र श्री श्री राम प्रताप, भिवासी रायपुर भजरे हरदो खगगा धरदपुर की उपस्थिती में उद्योग की पानी इलवा कर (पायर टैकर) बन्द कराया गया। तदनुसार उद्योग मालिक श्री श्री हरिशचन्द्र सिंह पुत्र श्री एच : रत्नापाल सिंह उपस्थित हुए।

मनोज कुमार

मनोज कुमार

प्रदीप कुमार बिश्नोइया
03/06/19

सहायक इंजिनियर आधिकारी
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
प्रयागराज

प्रवीण कुमार पुत्र
03/06/19
उपनिरीक्षक (न० प्र०)
कोतवाली खगगा
धरदपुर

शारदा क्रिड
राम चन्द्र मिश्रा 3/6
प्रभारी पायर टैकर
खगगा धरदपुर

सुरेश सिंह बिश्नोइया
03/06/19
रौ० नि० / रौ० वी० लेखपाल
खगगा, धरदपुर


रमेश चन्द्र पाण्डेय
03/06/19
नायब व दहीलदार
खगगा धरदपुर

नोट - उक्त उद्योग को कोतवाली खगगा को सुदूर किया जाता है।

03/06/19

03/06/19

M/S MAA SHARDA BRICK FIELD
HARDO, KHAGA, FATEHPUR



M/S MAA SHARDA BRICK FIELD, HARDO, KHAGA FATEHPUR



M/S MAA SHARDA BRICK FIELD HARDO, KHAGA ,FATEHPUR

